भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 5198
सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर

5198. श्री मनोज तिवारीः
डॉ निशिकांत दुबेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में बेरोजगार युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में रोजगार की मांगों को पूरा करने के लिए मौजूदा योजनाओं की प्रभावशीलता और पर्याप्तता के संदर्भ में समीक्षा करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.31 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। योजना की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार प्रगति अनुबंध-I पर है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। योजना की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार प्रगति अनुबंध-II पर है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 24.02.2023 तक, अप्रैल 2015 के आरंभ से 22.41 लाख करोड़ रुपए के 39.65 करोड़ ऋणों की स्वीकृति दी गई और 21.83 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। योजना की शुरुआत के बाद से राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-III पर हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण अनुबंध-IV-VII में दिया गया है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा से करवाए जा रहे नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 50.9%, 52.6% और 52.9% था जो देश में रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

*****

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 11.03.2023 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आंकड़े (राज्यवार)				
राज्य का नाम	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ की राशि (करोड़ रुपये में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	477	36	11,165,459	1.12
आंध्र प्रदेश	166,508	4,036	2,754,020,888	275.40
अरुणाचल प्रदेश	514	17	9,556,314	0.96
असम	19,830	662	289,915,202	28.99
बिहार	28,261	1209	622,722,622	62.27
चंडीगढ़	64,656	1,579	915,415,119	91.54
छत्तीसगढ़	84,986	2,938	1,458,670,675	145.87
दिल्ली	226,970	3,137	2,860,056,132	286.01
गोवा	20,895	540	284,967,112	28.50
गुजरात	642,823	15,532	8,894,606,105	889.46
हरियाणा	398,782	7,622	5,415,863,018	541.59
हिमाचल प्रदेश	83,227	2,158	1,209,264,971	120.93
जम्मू और कश्मीर	19,355	888	411,703,368	41.17
झारखंड	62,664	2,242	1,113,527,475	111.35
कर्नाटक	485,222	10,982	7,600,021,766	760.00
केरल	96,136	2,726	1,687,054,516	168.71
लद्दाख	190	17	3,108,740	0.31
मध्य प्रदेश	205,261	6,230	3,348,208,591	334.82
महाराष्ट्र	976,469	22,403	13,202,677,393	1,320.27
मणिपुर	1,689	57	23,915,800	2.39
मेघालय	1,210	38	43,674,485	4.37
मिजोरम	377	15	13,870,410	1.39
नागालैंड	234	17	4,460,700	0.45
ओडिशा	89,184	4,187	1,693,732,726	169.37
पंजाब	170,624	6,525	3,081,915,967	308.19
राजस्थान	325,717	11,451	4,937,428,973	493.74
सिक्किम	3,764	112	67,509,718	6.75
तमिलनाडु	815,757	16,695	10,308,341,547	1,030.83
तेलंगाना	281,989	5,369	3,491,724,408	349.17
त्रिपुरा	5,440	150	90,766,621	9.08
उत्तर प्रदेश	432,047	12,381	7,448,963,077	744.90
उत्तराखंड	93,348	2,417	1,368,560,130	136.86
पश्चिम बंगाल	226,962	7,681	3,382,827,273	338.28
योग	**6,031,568**	**152,049**	**88,050,217,301**	**8,805.02**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई।

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 13.03.2023 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लिए लाभार्थियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़ें

क्र. सं.	राज्य	योग्य आवेदन			आवेदन स्वीकृति			संवितरित			वितरित राशि (करोड़ में)		
		वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	429	205	301	395	142	245	387	146	176	0.39	0.20	0.38
2	आंध्र प्रदेश	149,335	104,564	96,151	117,852	86,981	59,636	112,747	81,486	42,091	112.05	92.39	76.04
3	अरुणाचल प्रदेश	3,280	1,502	1,915	1,839	892	2,295	1,588	1,101	1,327	1.59	1.30	2.07
4	असम	24,412	57,677	28,746	15,817	46,522	25,712	14,157	42,502	17,819	14.12	44.49	27.23
5	बिहार	69,579	27,273	26,455	33,893	23,403	15,927	28,862	19,425	8,607	28.49	20.04	14.38
6	चंडीगढ़	3,027	2,303	3,130	2,148	1,591	1,863	2,051	1,591	1,717	2.04	1.77	3.07
7	छत्तीसगढ	68,493	16,719	32,233	41,021	10,783	14,241	40,296	9,208	9,946	39.93	11.98	17.77
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1,996	204	880	1,121	164	734	1,029	228	252	1.03	0.24	0.44
9	दिल्ली	47,187	22,508	69,646	33,069	11,668	41,305	31,169	11,052	24,137	30.95	11.55	32.63
10	गोवा	1,240	510	978	1,028	429	548	1,017	391	402	1.01	0.56	0.89
11	गुजरात	142,656	185,903	130,287	106,708	119,026	113,504	102,351	111,473	89,586	101.61	127.98	147.82
12	हरियाणा	30,930	23,036	19,993	17,807	14,670	13,261	16,943	11,573	10,752	16.78	13.70	18.08
13	हिमाचल प्रदेश	3,245	1,358	2,917	2,812	1,242	2,022	2,767	1,240	1,758	2.76	1.88	3.97
14	जम्मू और कश्मीर	14,560	4,757	8,537	11,895	3,927	5,202	11,514	4,011	4,367	11.50	5.31	8.75
15	झारखंड	34,125	16,287	20,005	22,551	9,998	11,299	22,031	8,370	6,406	21.90	9.89	11.02
16	कर्नाटक	159,558	47,837	107,929	114,450	53,462	82,521	107,979	45,173	57,368	107.61	56.73	100.75
17	केरल	9,269	4,210	6,889	8,142	3,387	5,604	8,052	3,361	4,454	8.00	5.34	8.88
18	लद्दाख	271	102	266	249	78	220	247	73	191	0.25	0.13	0.41
19	मध्य प्रदेश	419,566	269,727	255,524	324,161	206,159	201,502	313,909	199,257	157,108	312.09	241.76	277.15
20	महाराष्ट्र	236,329	61,886	403,972	169,517	49,132	314,895	149,131	60,446	178,846	148.15	72.59	226.27
21	मणिपुर	14,452	2,224	4,566	6,773	1,878	3,634	6,094	2,498	1,282	6.09	2.60	2.36
22	मेघालय	346	428	1,278	266	394	1,040	253	383	780	0.25	0.41	0.95
23	मिजोरम	530	172	338	446	132	99	442	134	78	0.44	0.23	0.17
24	नागालैंड	1,811	793	1,012	1,214	465	639	1,202	467	382	1.20	0.63	0.64
25	ओडिशा	47,866	12,015	24,919	29,262	12,958	17,624	27,489	8,835	8,445	27.17	10.36	15.85
26	पुडुचेरी	1,436	357	738	1,202	169	640	1,130	226	458	1.13	0.34	0.87
27	पंजाब	66,755	19,733	28,949	29,474	12,478	13,350	26,663	13,180	10,066	26.43	13.66	17.23
28	राजस्थान	101,149	19,083	50,155	55,767	14,484	34,175	50,330	16,948	7,973	50.16	17.01	14.18
29	सिक्किम	3	-	10	-	1	1	-	1	-	-	0.00	-
30	तमिलनाडु	226,235	110,499	110,520	110,387	75,895	70,852	87,716	77,713	53,564	87.20	79.39	90.78
31	तेलंगाना	392,872	99,118	152,288	330,587	76,515	118,670	310,500	87,338	79,594	307.05	139.98	160.87
32	त्रिपुरा	3,663	1,092	1,614	2,622	1,123	1,103	2,600	732	601	2.59	0.94	1.10
33	उत्तर प्रदेश	684,545	176,221	488,697	594,333	215,337	349,459	563,992	236,200	304,805	555.22	248.15	486.06
34	उत्तराखंड	13,735	3,421	10,143	9,258	2,020	7,287	9,111	1,902	6,321	9.07	2.41	10.79
35	पश्चिम बंगाल	12,042	17,791	15,381	5,218	9,609	5,538	2,379	11,179	1,718	2.36	11.03	2.50
योग		**2,986,927**	**1,311,515**	**2,107,362**	**2,203,284**	**1,067,114**	**1,536,647**	**2,058,128**	**1,069,843**	**1,093,377**	**2,038.60**	**1,246.98**	**1,782.34**

स्रोतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - राज्यवार रिपोर्ट

(राशि करोड़ रुपये में)

		संचयी (दिनांक 08.04.2015 से 24.02.2023 तक)		
क्र.सं.	राज्य का नाम	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	47,781	881	860
2	आंध्र प्रदेश	72,11,771	82,011	78,535
3	अरुणाचल प्रदेश	85,250	1,002	965
4	असम	98,48,732	48,662	47,397
5	बिहार	4,08,27,316	1,78,161	1,70,384
6	चंडीगढ़	1,64,477	2,685	2,597
7	छत्तीसगढ	77,57,011	42,400	40,664
8	दादरा और नगर हवेली	24,463	326	318
9	दमन और दीव	7,190	172	155
10	दिल्ली	28,88,554	31,738	30,993
11	गोवा	3,07,226	3,935	3,732
12	गुजरात	1,19,89,553	89,612	88,063
13	हरियाणा	75,17,372	51,747	50,184
14	हिमाचल प्रदेश	8,51,803	16,059	15,139
15	झारखंड	1,13,64,863	53,644	52,137
16	कर्नाटक	3,75,22,159	2,05,483	2,01,831
17	केरल	1,30,36,474	80,692	79,331
18	लक्षद्वीप	7,546	103	95
19	मध्य प्रदेश	2,41,70,978	1,26,306	1,22,119
20	महाराष्ट्र	3,17,44,002	1,87,425	1,83,715
21	मणिपुर	4,35,359	2,576	2,416
22	मेघालय	2,30,936	2,040	1,986
23	मिजोरम	1,08,029	1,611	1,500
24	नागालैंड	1,11,855	1,457	1,348
25	ओडिशा	2,62,16,340	1,03,397	1,00,674
26	पुडुचेरी	10,05,198	5,776	5,694
27	पंजाब	77,93,939	56,449	54,553
28	राजस्थान	1,72,77,732	1,22,221	1,19,727
29	सिक्किम	1,33,510	1,213	1,171
30	तमिलनाडु	4,56,31,509	2,20,765	2,18,101
31	तेलंगाना	57,88,869	50,651	49,577
32	त्रिपुरा	25,43,011	12,952	12,663
33	उत्तर प्रदेश	3,80,48,454	2,09,216	2,01,897
34	उत्तराखंड	25,32,797	22,165	21,426
35	पश्चिम बंगाल	3,98,59,476	1,94,754	1,90,821
36	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	13,83,857	30,031	29,289
37	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	40,461	1,277	1,256
	योग	**39,65,15,853**	**22,41,597.30**	**21,83,313.45**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य/ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अनुमानित रोजगार सृजित (व्यक्तियों की संख्या)			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 15.03.2023 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	744	1240	1296	752
2	आंध्र प्रदेश	17536	13392	19816	23648
3	अरुणाचल प्रदेश	1688	784	1568	1064
4	असम	20824	23512	30840	16304
5	बिहार	17768	17536	19816	28008
6	यूटी चंडीगढ़	112	80	168	120
7	छत्तीसगढ	22488	21744	24160	16008
8	दिल्ली	744	592	800	568
9	गोवा	720	464	696	440
10	गुजरात*	31864	22832	33144	24456
11	हरियाणा	16232	13920	13808	10832
12	हिमाचल प्रदेश	9808	9664	10192	6040
13	जम्मू और कश्मीर	42840	68600	173184	85024
14	झारखंड	12352	12176	13712	10792
15	कर्नाटक	29576	35504	47016	43472
16	केरल	19368	19112	22312	20160
17	लक्षद्वीप	0	24	56	16
18	मध्य प्रदेश	17344	38832	64656	31600
19	महाराष्ट्र**	35232	24832	33024	25264
20	मणिपुर	9384	12448	9112	3464
21	मेघालय	3016	2872	5592	1600
22	मिजोरम	6080	6480	5200	3104
23	नागालैंड	8872	5920	9928	3456
24	ओडिशा	21744	25368	34408	20640
25	पुदुचेरी	512	352	528	192
26	पंजाब	13560	13216	14288	11848
27	राजस्थान	24200	22176	20776	13968
28	सिक्किम	632	456	680	384
29	तमिलनाडु	41376	41504	47776	46352
30	तेलंगाना	17424	16200	23248	19312
31	त्रिपुरा	7696	6736	7664	4384
32	उत्तर प्रदेश	48960	79952	100752	75984
33	उत्तराखंड	14752	17992	14688	11312
34	पश्चिम बंगाल	17776	16560	18440	14832
35	यूटी लद्दाख	-	2248	2360	688
	योग	**533224**	**595320**	**825704**	**576088**

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 28.02.2023 को पिछले पांच और चालू वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	वि.व. 19-20		वि.व. 20-21		वि.व. 21-22		वित्त वर्ष 22-23 फरवरी'23 तक 10.03.22 को (केबी)	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	15933	10795	4156	2177	1606	2135	14376	3609
2	अरुणाचल प्रदेश	84	0	28	33	233	71	609	196
3	असम	11993	13862	1966	3296	3553	916	10097	3605
4	बिहार	14301	5916	2687	2745	7099	2491	10319	5138
5	छत्तीसगढ	9798	3842	1109	3683	6499	2883	8105	5200
6	गुजरात	3084	2249	240	875	830	599	1984	488
7	हरियाणा	1948	6013	26	1213	1772	680	4946	1722
8	हिमाचल प्रदेश	1980	1073	0	117	334	10	3756	1764
9	जम्मू और कश्मीर	10516	1319	3454	1945	2300	1102	4217	1315
10	झारखंड	12866	8224	1050	1879	4035	1354	8363	4424
11	कर्नाटक	5797	7226	769	1649	1442	673	2853	1499
12	केरल	12812	8390	3053	2931	3219	1097	7250	3329
13	मध्य प्रदेश	10433	7348	903	969	6825	3977	13773	8721
14	महाराष्ट्र	13521	12765	874	3319	348	1612	3848	898
15	मणिपुर	1780	573	338	387	811	139	1867	395
16	मेघालय	1518	686	83	158	456	241	2034	906
17	मिजोरम	554	359	37	88	105	94	193	163
18	नागालैंड	1220	403	221	278	1009	614	2141	1214
19	ओडिशा	43278	30607	7978	7729	10474	4828	15114	8857
20	पंजाब	2002	1311	2922	1931	6976	4188	7040	6685
21	राजस्थान	14530	4692	981	1759	3096	3130	4840	2824
22	सिक्किम	462	32	0	43	90	0	748	152
23	तमिलनाडु	9685	3324	213	1286	8228	2941	12873	6535
24	तेलंगाना	9731	6839	2752	1436	3177	2494	1762	269
25	त्रिपुरा	1407	524	21	609	1049	193	1926	741
26	उत्तर प्रदेश	24895	7341	1540	4068	16898	3765	31118	10374
27	उत्तराखंड	1518	672	367	416	3645	917	7141	3275
28	पश्चिम बंगाल	9531	3829	521	2544	732	2424	7280	2364
29	पुडुचेरी					165	44	536	202
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह					0	0	88	30
	योग	**247177**	**150214**	**38289**	**49563**	**97006**	**45612**	**191197**	**86894**

स्रोत: डीडीयू-जीकेवाई एमआईएस (kaushalpragati.nic.in and kaushalbharat.gov.in)

* कार्यक्रम 2020-21 में पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू हुआ।

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एमजीएनआरईजीए के तहत सृजित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार मानव दिवस (लाख में)

क्र.स.	राज्य	सृजित मानव दिसव (लाख में)			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (20.03.23 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2002.25	2593.58	2417.26	2272.16
2	अरुणाचल प्रदेश	85.99	128.14	158.71	132.00
3	असम	623.06	911.53	915.91	721.02
4	बिहार	1413.64	2272.18	1808.36	2235.97
5	छत्तीसगढ	1361.75	1840.90	1692.29	1180.58
6	गोवा	0.34	1.10	0.95	0.89
7	गुजरात	353.70	482.29	568.01	453.85
8	हरियाणा	91.19	179.62	146.40	88.47
9	हिमाचल प्रदेश	259.19	336.19	370.94	286.74
10	जम्मू और कश्मीर	313.41	407.01	406.23	270.62
11	झारखंड	641.95	1176.08	1132.21	858.46
12	कर्नाटक	1118.63	1480.32	1632.21	1210.02
13	केरल	802.30	1023.00	1059.66	912.67
14	लद्दाख	19.03	21.30	19.27	19.07
15	मध्य प्रदेश	1930.17	3420.21	2999.02	2233.05
16	महाराष्ट्र	629.60	679.36	825.32	744.26
17	मणिपुर	234.07	330.52	304.66	60.06
18	मेघालय	370.22	383.70	393.63	252.55
19	मिजोरम	192.10	198.66	200.77	175.29
20	नागालैंड	138.48	180.11	192.58	185.78
21	ओडिशा	1113.89	2080.75	1977.63	1755.95
22	पंजाब	235.25	376.75	331.44	308.95
23	राजस्थान	3286.55	4605.35	4242.96	3393.46
24	सिक्किम	29.47	37.34	34.34	30.17
25	तमिलनाडु	2485.10	3339.46	3457.26	3099.87
26	तेलंगाना	1071.14	1579.53	1457.93	1142.56
27	त्रिपुरा	344.02	437.22	426.18	321.73
28	उत्तर प्रदेश	2443.55	3934.87	3256.52	2997.05
29	उत्तराखंड	206.12	303.61	243.18	191.81
30	पश्चिम बंगाल	2723.05	4140.17	3642.27	378.14
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.21	2.61	1.13	1.13
32	लक्षद्वीप	0.04	0.02	0.01	0.04
33	पुडुचेरी	7.65	10.57	6.15	7.97
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**26529.11**	**38894.05**	**36331.39**	**27922.33**

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5198 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजित कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या (पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान [दिनांक 2017-18 से 2022-23 (दिनांक 28.02.2023 तक)])

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	983	24	29	0	**66898**
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	87	**1036**
3	असम	1615	409	1581	6470	**11270**
4	बिहार	1472	465	996	1570	**8318**
5	छत्तीसगढ	1271	196	80	360	**14520**
6	गोवा	160	326	705	500	**3243**
7	गुजरात	5200	4979	7706	2674	**41905**
8	हरियाणा	4049	1048	72	1802	**14026**
9	हिमाचल प्रदेश	236	428	1141	950	**3482**
10	जम्मू और कश्मीर	144	8	125	518	**1082**
11	झारखंड	3794	707	564	1347	**33403**
12	कर्नाटक	27	213	1150	324	**1717**
13	केरल	2743	925	1680	932	**14408**
14	मध्य प्रदेश	6395	12997	4740	22514	**89731**
15	महाराष्ट्र	36319	3172	651	474	**92983**
16	मणिपुर	91	56	154	3766	**4188**
17	मेघालय	105	19	473	375	**1490**
18	मिजोरम	936	324	305	330	**3639**
19	नगालैंड	86	158	167	36	**458**
20	ओडिशा	0	0	0	0	**461**
21	पंजाब	2791	4213	9822	12129	**32566**
22	राजस्थान	2118	2526	3502	1181	**12996**
23	सिक्किम	0	0	0	0	**246**
24	तमिलनाडु	327	2288	880	2157	**12489**
25	तेलंगाना	1876	0	0	0	**15050**
26	त्रिपुरा	18	98	280	0	**783**
27	उत्तर प्रदेश	6627	5037	14859	1796	**36196**
28	उत्तराखंड	100	84	134	154	**5615**
29	पश्चिम बंगाल	3670	694	1778	1507	**23010**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	**0**
31	चंडीगढ़	574	176	1260	883	**3641**
32	दिल्ली	9	38	267	208	**543**
33	पुडुचेरी	0	23	33	0	**56**
34	लद्दाख	0	0	0	0	**0**
	योग	**83737**	**41631**	**55134**	**65044**	**551449**

स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय